न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम— रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 116/2017

करणाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान .... प्रार्थी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. हरदयाल
3. जगदीश दोनों पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
4. देबूराम
5. बीरबल
6. जगूराम तीनों पुत्र चिमनाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
7. बनवारी
8. शिशपाल दोनों पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
9. रामेश्वर पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
10. रामकुमार पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
11. पटवारी हल्का, ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
12. तहसीलदार फतेहपुर प्रतिनिधि लैण्ड हॉल्डर राजस्थान सरकार
13. सरस्वती बेवाह गोपाल
14. महेश पुत्र गोपाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * फतेहपुर (सीकर)

[illegible]

श्री [illegible] सैनी– प्रार्थी
श्री [illegible] निर्मल – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 12.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 500 रकबा 2.93 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी में अवस्थित है, जिसमें आवेदक 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है, जिसके नाम उक्त भूमि का खाता बना हुआ है। आवेदक के उक्त खेत में जाने का रास्ता गोचर भूमि खसरा नंबर 488 के बीच में से होता हुआ खसरा नंबर 489 में प्रवेश करता है तथा खसरा नंबर 489 के बीच में से होता हुआ उक्त रास्ता खसरा नंबर 489 की दक्षिणी सींव तक जाकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिनमें से पूर्वी तरफ का रास्ता खसरा नंबर 489 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे चलकर खसरा नंबर 491 में प्रवेश करके उक्त खसरा नंबर 491 के बीच में से होता हुआ खसरा नंबर 500 में उत्तरी पश्चिमी कूंट में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए.बी.सी.डी. मार्क से दर्शित किया गया है।

उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 20 फीट चौड़ा रहा है। आवेदक अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 500 में अपने हिस्से में आवागमन, पशु, वाहन आदि लाने ले जाने हेतु उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते को ही हमेशा से अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर, निर्बाद्ध, शांतिपूर्वक तरीके से अपने उपयोग–उपभोग में लेता चला आ रहा है।

आवेदक के पास अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 500 में आने जाने हेतु उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता आवेदक के हिस्से की भूमि में आवागमन का एक मात्र प्रचलित रास्ता है, किन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा कतई गलत व विधिविरुद्ध रुप से बिना किसी वैध हक अधिकार के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां गत माह से आवेदक व उसके परिवारजन को दी जा रही है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने से आवेदक अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 500 में स्थित अपने हिस्से की भूमि में आवागमन नहीं कर सकेगा तथा अपने पशुधन, वाहन, खेती का सामान आदि नहीं ले जा सकेगा। उक्त रास्ते के बंद होने जाने से आवेदक अपने खेत को काश्त नहीं कर पायेगा तथा न ही अपने हिस्से की सारसंभाल कर पायेगा, जिससे आवेदक को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा आवेदक के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिए आवेदक को प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित उक्त 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। आवेदक

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

...नुसार विधि की समस्त शर्तों की पालना करने हेतु तैयार है तथा उक्त रास्ता आवेदक ... दिलवाया जाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु अनावेदकगण संख्या ... को आदेशित किया जाना, उक्त रास्ता आवागमन के लिए सुचारु रुप से चालू रखवाया ... व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 को आवेदक के उक्त रास्ते से आवागमन व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथा नक्शे में ए.बी.सी.डी. मार्क से दर्शित उक्त 20 फीट चौड़ा रास्ता आवेदक व उसके परिवारजन को किया जावे तथा इनकी नियमानुसार राशि अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 को दिलवाने की कृपा करें तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु अनावेदक संख्या 11 व 12 को आदेशित फरमानें की कृपा करे तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 को आदेशित फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरुद्ध नहीं करें तथा आवेदक व उसके परिवारजन के उक्त रास्ते से आवागमन, वाहन, पशुधन आदि लाने ले जाने व उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारीलाल निर्मल एड. व अप्रार्थी संख्या 4, 9 की ओर से श्री विधाधर सैन एड0 ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बीबीपुर छोटा पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। शामिल पत्रावली हो। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नंबर 500 वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 488, 489, 491 में से चाहा गया है। खसरा नम्बर 500 की खातेदार अप्रार्थी संख्या 13 व 14 है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए की श्रेणी में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश

आदेश आज दिनांक 12.06.2018 को कैम्प कोर्ट बीबीपुर छोटा में सुनाया गया।

(रेनू मीणा)
अध्यक्ष
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)